

राजस्थान सरकार
पर्यटन विभाग
पर्यटन भवन, संजय नार्ग, विधायकपुरी थाने के सामने, जयपुर

क्रमांक: एफ.10(96)/सा.भ./पवि/2024-25

दिनांक:

निदेशक,
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग,
राजस्थान सरकार, जयपुर।

विषय:- नीलामी सूचना प्रकाशित करने बाबत।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत इस विभाग के अनुपयोगी/नाकारा/अप्रचलित सामान की नीलामी सूचना की प्रतियां संलग्न कर निवेदन है कि निविदा सूचना को शीघ्र निम्नानुसार समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने एवं आपकी वेबसाईट पर जारी कराने का श्रम करावे:-

1- One State News Paper / नियमानुसार प्रकाशित कराने का श्रम करावे।

संलग्न:- नीलामी सूचना की प्रति

50


(आनंद कुमार त्रिपाठी)
अतिरिक्त निदेशक (विकास)

क्रमांक: एफ.10(96)/सा.भ./पवि/2024-25/696-701

दिनांक: 22.04.2024

प्रतिलिपि :-

1. निजी सचिव, निदेशक, पर्यटन विभाग, जयपुर।
2. उप निदेशक, (प्रचार-प्रसार), पर्यटन विभाग, जयपुर।
3. उप निदेशक, ए.सी.पी., आई.टी, मुख्यालय, जयपुर को नीलामी सूचना सोफ्ट कॉपी प्रेषित कर लेख है कि उक्त निविदा विभागीय वेबसाईट पर भी जारी करवाने की व्यवस्था करावे।
4. उप निदेशक, पर्यटक स्वागत केन्द्र, पर्यटन विभाग, जयपुर।
5. नीलामी कमेटी सदस्य।
6. नोटिस बोर्ड, मुख्यालय, जयपुर।


(अजीत सिंह)
उप निदेशक (सा.भ.)

राजस्थान सरकार

पर्यटन विभाग

पर्यटन भवन, संजय मार्ग, विधायकपुरी थाने के सामने, जयपुर

क्रमांक: एफ.10(96)/सा.भ./पवि/2023/पार्ट-1/702

दिनांक: 22.04.2024

नीलामी सूचना

विभाग के अनुपयोगी/नाकारा/अप्रचलित सामान (जहाँ जिस स्थिति में है) की नीलामी दिनांक 03.05.2024 को अपराह्न 2:30 बजे की जानी हैं। इच्छुक बोलीदाता निर्धारित समय पर उपस्थित होकर बोली में भाग ले सकते हैं। बोली लगाने से पूर्व प्रत्येक बोलीदाता को अमानत राशि के रूप में रू. 5000/- (राशि रू. पाँच हजार) कार्यालय में जमा कराने होंगे। असफल बोलीदाता को यह राशि नीलामी पूर्ण होने के उपरान्त दूसरी अधिकतम बोली लगाने वाले को छोड़कर लौटा दी जायेगी उसे उसी दिन अथवा दूसरे दिन लौटा दी जावेगी। सफल बोलीदाता को बोली की राशि नियमानुसार सभी करों आदि सहित उसी दिन कार्यालय समय में जमा करानी होगी एवं सामान को कार्यालय से उसी दिन उठाना होगा तथा नीलामी स्थल - पर्यटन भवन, संजय मार्ग विधायकपुरी थाने के सामने, जयपुर होगा। उक्त नीलामी को स्वीकृत करने, स्थगित करने, निरस्त करने का पूर्ण अधिकार समिति को होगा।

नीलामी योग्य सामान किसी भी कार्य दिवस को 10:00 बजे से 5:00 बजे तक देखा जा सकता हैं।



(आनंद कुमार त्रिपाठी)
अतिरिक्त निदेशक (विकास)